. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8341/2006/जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **उपस्थित–** श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता सरकार। अप्रार्थीगण अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही। **निर्णय** **दिनांकः– 20–09–2019** यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के निर्णय दिनांक 26–08–2006 के द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जमवारामगढ ने एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि खतौनी बंदोबस्त बंदोबस्त विभाग सम्वत 2018–2028 ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ के अनुसार आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया पुजारी बलरामदास वल्द माधोदास कौम ब्रा0 सा. अरणिया की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में भूरा व गणेश पिसरान केशा, काना वल्द हुक्मा जाति बागडा ब्राहमण के नाम दर्ज थे। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 15 का नया नम्बर 11/1 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा कायम किए गए तथा यह भूमि खतौनी एकीकरण जमाबंदी सम्वत 2020 में माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया की खातेदारी में दर्ज ही रहीं, किन्तु कालान्तर में यह भूमि माफी मंदिर की	

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 8341 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी से बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा/आदेश के खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 98 से भूरा के फौत होने पर विरासत के आधार पर बोदू पुत्र भूरा के हक में दर्ज करते हुए वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त माफी मंदिर की भूमि का नियम विरूद्ध हस्तान्तरण हुआ है, जिसे हटाया जाकर पुनः माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया के नाम दर्ज किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य रेफरेंस को स्वीकार कर विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में पुनः श्री लावारामजी वाके अरणिया के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हमने विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की रेफरेंस के सम्बन्ध में एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि खतौनी बंदोबस्त बंदोबस्त विभाग सम्वत 2018-2028 ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ के अनुसार आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया पुजारी बलरामदास वल्द माधोदास कौम ब्रा0 सा. अरणिया की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में भूरा व गणेश पिसरान केशा, काना वल्द हुक्मा जाति बागडा ब्राहमण के नाम दर्ज थे। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 15 का नया नम्बर 11/1 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा कायम किए गए तथा यह भूमि खतौनी एकीकरण जमाबंदी सम्वत 2020 में माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया की खातेदारी में दर्ज ही रहीं, किन्तु कालान्तर में यह भूमि माफी मंदिर की खातेदारी से बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा/आदेश के खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 98 से भूरा के फौत होने पर	

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8341/2006/जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरासत के आधार पर बोदू पुत्र भूरा के हक में दर्ज करते हुए वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अन्त में उन्होंने रेफरेंस को स्वीकार कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती श्री लावारामजी वाके अरणिया के नाम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई। हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स का अवलोकन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खतौनी बंदोबस्त बंदोबस्त विभाग सम्वत 2018-2028 ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ के अनुसार आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया पुजारी बलरामदास वल्द माधोदास कौम ब्रा0 सा. अरणिया की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में भूरा व गणेश पिसरान केशा, काना वल्द हुक्मा जाति बागडा ब्राहमण के नाम दर्ज थे। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 15 का नया नम्बर 11/1 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा कायम किए गए तथा यह भूमि खतौनी एकीकरण जमाबंदी सम्वत 2020 में माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया की खातेदारी में दर्ज ही रहीं, किन्तु कालान्तर में यह भूमि माफी मंदिर की खातेदारी से बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा/आदेश के खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 98 से भूरा के फौत होने पर विरासत के आधार पर बोदू पुत्र भूरा के हक में दर्ज करते हुए वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अतः माफी मंदिर की भूमि का हस्तान्तरण बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो अवैधानिक है, क्योंकि माफी मंदिर श्रीलावारामजी को शाश्वत नाबालिग माना गया है और इसकी भूमि पर किसी अन्य	

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8341/2006/जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व्यक्ति को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है।

–1984 आरआरडी पेज 01 में निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय दिया हैः–

> (a) <u>Idol- Minor- R.T.Act, Secs. 5(25) Proviso & 46 (1)(e)-</u> Whether a deity is a minor for purpose of Sec. 46 and Proviso to Sec. 5 (25) or suffers from any mental or physical disability u/s 5(25) or incapable of cultivating land u/s 46 (1)(e)- Held deity is a minor for purpose of Sec 46(1)(a) and proviso to Sec. 5(25)- Question of infirmity and disabilities, not considered necessary to be examined since all minor enjoy protection u/s 46(1) (a).
>
> (b) <u>Raj. Tenancy Act. Ss. 46(1) & 16 (vi)</u> - Whether khatedari rights can at all accrue in lands held for public purpose and lands of deities can be considered to be held for public purpose- Held, properties endowed for an idol, essentially for public purpose and/ or public utility unless temple, essentially private- AIR 1957 SC 133, followed- Hence khatedari rights cannot accrue in such lands.
>
> (c) <u>Raj. Tenancy Act, Sec. 5 (25) Land cultivated personally</u>- Lands in muafi of deity, cultivated by a person, not being a pujari or manager, not a member of their family, nor a hired labour or servant- Held such land, included in definition of 'land cultivated personally' in sec 5(25).

इसके अतिरिक्त 1994 आरआरडी पेज 01 रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिपादित किया है किः–

> "(B) **Rajsthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act-** (a) Section 2(i) and sub-section (23) of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act- When there was no provision in the law or in the proforma for preparation of the land records for the entry of the word 'khudkasht', the entry of merely the name of the khatedar in the column provided therefor (without the word 'khuddasht') did not detract from the 'khudkasht' naure of the tenure.
>
> (b) Section 2(k)- Land cultivated personally - It is settled law that an idol is a perpetual minor and, therefore, it is not expected to cultivate the land personally and in such a case, the land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8341/2006/जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	personal supervision." प्रस्तुत मामले में न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 01 एवं 1994 आरआरडी पेज 01 अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति सदैव नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि पर जिसके द्वारा भी काश्त की जाती है, वह मूर्ति द्वारा ही "Land cultivated personally" ही मानी जाएगी। राजस्व मण्डल की वृह्द पीठ एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर अगर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो वह मंदिर मूर्ति के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। फलतः मूर्ति मंदिर उन अपवादित श्रेणियों में शामिल है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (म) के अन्तर्गत परिणित होने के कारण भूमिधारक या कृषक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बतौर उपकृषक राहिन के रूप में कृषि कराने के लिए लगाये गये प्रतिबंध लागू नहीं होते है। वैसे भी नाबालिग के व्यापक हितों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का है। यहीं नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। हस्तगत प्रकरण में माफी मंदिर मूर्ति की विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/आज्ञा के अवैध रूप से खातेदार दर्ज कर दिया गया है, जिसे उपरोक्त वर्णित विभिन्न विधिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के मद्देनजर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। परिणामतः प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित विवादित आराजी खसरा	

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 8341 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 11 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि की अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज की गयी खातेदारी को निरस्त किया जाता है साथ ही कालान्तर में किए गए समस्त इन्द्राजात को भी निरस्त किए जाते है। विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती माफी मंदिर श्री लावारामजी वाके अरणिया के नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8341/2006/जयपुर सरकार बनाम बोदू वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए